1 2013 13:35

#2384 P.001

पत्र संख्या– 2617/जी0एस0/शिक्षा/A3-22/2013

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

[redacted]
कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून:दिनांक: 26 नवम्बर 2013

महोदय,

कुमाऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न बी0एड0 संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकायें दायर की गयी थी, जिसके क्रम में संस्थानों को सत्र 2012–13 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से संस्थानों को सत्र 2013–14 हेतु अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुति के क्रम में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम/कुलाधिपति द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अधीन निम्नांकित 26 संस्थानों/कालेजों को, समस्त मानकों की पूर्ति होने की दशा में, स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु स्तम्भ–4 पर वर्णित अवधि के लिये अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :–

क्र0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
1.	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
2.	स्वामी विवेकानन्द प्राईवेट कालेज आफ मैनेजमेन्ट, किशनपुर, गौलापार, हल्द्वानी	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
3.	बजाज कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी, गदरपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
4.	पूर्णागिरी कालेज आफ एजुकेशन, खटीमा।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
5.	हरदेव सिंह स्मारक कालेज, जसपुर, उधमसिंहनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
6.	श्री सॉई शिक्षण संस्थान, जसपुर, उधमसिंहनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
7.	द्रोण बी0एड0 कालेज फार वुमैन, दिनेशपुर, रूद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
8.	द्रोण बी0एड0 कालेज, दिनेशपुर, रूद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
9.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स, शिक्षा नगर, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
10.	प्रेजेन्टेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, काठगोदाम (हल्द्वानी)	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
11.	जे0एन0 कॉल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन, नैनीताल।	बी0एड0 (60 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
12.	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जसपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु

क्रमशः—2/-

FROM : FAX NO. :000000000000 26 Nov. 2013 1:53PM P1

13.	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एप्लाईड कोर्सेस, बरेली रोड, हल्द्वानी।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
14.	एलकैमिस्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, खेतलसण्डा खाम, खटीमा।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
15.	इन्सपिरेशन कॉलिज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
16.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमैन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
17.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
18.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूनामट्टा रोड, बनबसा, चम्पावत।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
19.	सरस्वती इन्स्टीट्यूट आफ मैने0 एण्ड टैक्नो0 रुद्रपुर	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
20.	डा0 सुशीला तिवारी प्राईवेट बी0एड0 कालेज, सितारगंज, उधमसिंहनगर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
21.	श्री गुरुनानक डिग्री कालेज, प्रीति विहार कालोनी, रुद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
22.	केशव सूर्यमुखी कालेज आफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, रुद्रपुर।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
23.	सल्ट इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी एण्ड मैनेजमैंट, सल्ट, शशिखाल, अल्मोड़ा	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
24	श्री गुरुनानक प्रा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु
25	सूरजमल अग्रवाल प्रा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किच्छा	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2013–14 हेतु

1– यह अस्थायी सम्बद्धता संस्थान द्वारा सभी मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है। इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

2– निर्धारित मानकों की पूर्ति व अर्ह फैकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से समय–समय पर अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानो के मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिये संस्तुति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/समक्ष अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

3– संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।

4– यदि किसी भी स्तर पर शासन/कुलाधिपति के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित/निरीक्षण दल/संस्थान का होगा तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः—3/-

5– सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान/कालेज को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

6– संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

7– संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नही किया जाता है तो उक्त वर्षो में उसकी सीटें उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।

8– संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही किया जायेगा।

9– छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10– यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

11– संस्थान के कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों का वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/ निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नही पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

12– संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13– संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नही? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नही की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 2617 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-22/2013,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3– निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, निकट मानसरोवर स्टेडियम, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
5– प्रबन्धक/सचिव, सम्बन्धित संस्थान।
6– उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
7– संस्थान की सम्बन्धित पत्रावली/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(पूनम सिंह सोबती)
वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल।